आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
15.12.2023	**वाद सं0–63/2023** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से अपीलकर्त्ता श्री प्रकाश चन्द्र चन्दन, ग्राम+पो0–औंरा, थाना–बगोदर, जिला–गिरिडीह, आयोग कार्यालय में उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से डॉ0 जियाउल रहमान, प्रखण्ड पशुपालन पदाधिकारी, गिरिडीह आयोग कार्यालय में उपस्थित। शिकायतकर्त्ता श्री प्रकाश चन्द चन्दन द्वारा आयोग को भेजे गये शिकायत–पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बगोदर के डोर स्टेप डिलीवरी अभिकर्ता श्री दिपेश कुमार और बगोदर के सहायक गोदाम प्रबंधक श्री विकास कुमार के मिली भगत से बडे पैमाने पर अनाज का गबन किया गया है। अतः दोषियो पर कार्रवाई की जानी चाहिए। आयोग ने ज्ञापांक–1006, दिनांक–06.12.2023 के माध्यम से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह को निर्देश दिया था कि वो इस संदर्भ में आज की सुनवाई में उपस्थित हों, लेकिन आज की सुनवाई में उनके द्वारा भेजे गये प्राधिकृत प्रतिनिधि इस वाद के बारे में सम्पूर्ण अनभिज्ञता व्यक्त कर रहें है और जिला आपूर्ति पदाधिकारी का कोई लिखित पक्ष भी आयोग के अभिलेख में मौजूद नहीं है। आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश देता है कि अपीलकर्त्ता की मूल शिकायत में जिन बातों का उल्लेख किया गया है उसकी जांच कर जांच प्रतिवेदन आयोग को समर्पित करें और यदि जांच में दोषी चिन्हित किये जाते है तो चिन्हित किये गये व्यक्ति के विरूद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करें अन्यथा आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा अधिनियम के समुचित धाराओं में तहत् कार्रवाई करने को बाध्य होगा। मामले की अगली सुनवाई दिनांक–28.12.2023 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–28.12.2023 को रखें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। G:\Rachana jsfc\Court order.docx17	